रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 1975/आषाढ़ 12, 1897

No. 188] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 1975/ASADHA 12, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July 1975

G.S.R. 396(E).—In exercise of the powers conferred by section 12A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby specifies the Fertiliser (Control) Order, 1957, issued under section 3 of the said Act, to be a special Order for purposes of summary trial under the said section 12A.

[No. F. 10-8/75-MPR-STU]

KUMARI ANNA R. GEORGE, Joint Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1975

सा०का०नि० 396(अ).—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जारी किए गए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 को एतद्द्वारा उक्त धारा 12क के अन्तर्गत संक्षिप्त मुकदमें चलाने के प्रयोजनों के लिए एक विशेष आदेश के तौर पर निर्दिष्ट करती है।

[सं० फा० 10-8/75-एम०पी०आर०-एस०टी०यू०]

कुमारी अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975